48

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

{कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के उनतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

(कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के उनतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई)

लोक सभा मे प्रस्तुत किया गया	20.12.2022
राज्य सभा के पटल पर रखा गया	20.12.2022

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

सीओए सं. 460

मूल्य: …….. **रुपए**

© 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित एवं मुद्रित।

विषय-सूची

पृष्ठ

समिति (2021-22) की संरचना	.....	(iii)
समिति (2022-23) की संरचना	.....	(v)
प्राक्कथन	.....	(vii)
अध्याय एक	**प्रतिवेदन**.....	1
अध्याय दो	**टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है**.....	13
अध्याय तीन	**टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरो को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती**.....	23
अध्याय चार	**टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरो को स्वीकार नहीं किए हैं**.....	24
अध्याय पांच	**टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं**.....	27

अनुबंध

समिति की 15.11.2022 को हुयी दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश 32

परिशिष्ट

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के उनतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण..... 35

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति* (2021-22) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री मोहन मंडावी
9. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
10. श्री देवजी पटेल
11. श्रीमती शारदा अनिल पटेल
12. श्री बी. बी. पाटील
13. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
16. श्री राजीव प्रताप रूडी
17. मोहम्मद सादिक
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री कैलाश सोनी
24. श्री राम नाथ ठाकुर
25. श्री वाइको
26. श्री हरनाथ सिंह यादव

@27. रिक्त

@28. रिक्त

@29. रिक्त

30. रिक्त
31. रिक्त

---

* बुलेटिन भाग 2 पैरा संख्या 3293 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का नाम बदलकर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया।

@ श्री प्रताप सिंह बाजवा, सांसद राज्य सभा दिनांक 21.03.2022 से राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे; सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सांसद राज्य सभा, 09.04.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, सांसद राज्य सभा, 04.07.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1ए	श्री शिव कुमार	.	अपर सचिव
2ए	श्री सुन्दर प्रसाद दस	.	निदेशक
3ए	श्री अश्वघोष बी. लोखंडे	-	कार्यकारी अधिकारी

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री ए. गणेशमूर्ति
5. श्री कनकमल कटारा
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
8. श्री मोहन मण्डावी
9. श्री देवजी मनसिंहराम पटेल
10. श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
11. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
13. श्री विनायक भाऊराव राऊत
14. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
15. श्री राजीव प्रताप रूडी
16. मोहम्मद सादिक
17. श्री देवेन्द्र सिंह भोले सिंह (ऊर्फ)
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री राम कृपाल यादव
*21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री मस्थान राव बीडा
24. डाअनिल सुखदेवराव . बोंडे
25. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
26. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
27. श्री कैलाश सोनी
28. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री वाइको
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

---

* दिनांक 14.10.2022 के बुलेटिन- भाग II, पैरा संख्या 5316 द्वारा 10.10.2022 को श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त ।

सचिवालय

1.	**श्री शिव कुमार**	**-**	**अपर सचिव**
2.	**श्री नवल के. वर्मा**	**-**	**निदेशक**
3.	**श्री उत्तम चंद भारद्वाज**	**-**	**अपर निदेशक**
4.	**श्री अश्वघोष बी. लोखंडे**	**-**	**कार्यकारी अधिकारी**

प्राक्कथन

मैं, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के उनतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के उनतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन से संबंधित की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ दिनांक 12.07.2022 को प्राप्त हुईं।

3. प्रतिवेदन को समिति की 15.11.2022 को हुई बैठक में विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

4. समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

नई दिल्ली;
06 दिसम्बर, 2022
15 अग्रहायण,1944(शक)

पी. सी. गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि,पशुपालन और खाद्य
प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक
प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के उनतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, जिसे 24 मार्च 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

1.2 मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 11 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफ़ारिश पैरा सं.1, 2, 4, 5, 8 और 9

कुल 06

अध्याय-दो

(ii) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

सिफ़ारिश पैरा सं. शून्य कुल 00

अध्याय-तीन

(iii) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:

सिफ़ारिश पैरा सं. 3 और 10 कुल 02

अध्याय-चार

(iv) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं:

सिफारिश पैरा सं. 6, 7 और 11 कुल 03

अध्याय पांच

1.3 समिति यह चाहती है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाए। ऐसे मामलों में, जहां विभाग के लिए किसी भी कारण से सिफारिशों को अक्षरश कार्यान्वित करना संभव नहीं है, उन मामलों को कार्यान्वयन न कर पाने के कारणों के साथ समिति को सूचित किया जाए। समिति यह चाहती है कि अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई संबंधी टिप्पण और इस प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर उन्हें यथाशीघ्र भेजे जाएं।

1.4 अब समिति उत्तरवर्ती पैराओं में अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

<u>मांग संख्या 43 का विश्लेषण</u>

सिफ़ारिश (क्र.सं.1)

1.5 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि मत्स्य पालन विभाग को वर्ष 2022-23 में बीई स्तर पर कुल 2118.47 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग आवंटित किया गया है जो 2021-22 में बीई स्तर के आवंटन से 73.52 प्रतिशत ज्यादा है। समिति को सूचित किया गया है कि बीई 2020-23 में बढ़े हुए आवंटन में दो प्रमुख स्कीम (क) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) और (ख) मास्त्यिकी एवं जलकृषि अवसरंचना विकास निधि (एफआईडीएफ) का क्रियान्वयन शामिल है। पीएमएमएसवाई के तहत कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार आवंटित बजट 1879 करोड़ रुपये है और इस आवंटित निधि को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को कैरी फारवर्ड करने की योजना बनायी गई है क्योंकि विभाग के पास अनुमोदित परियोजनाओं के कारण 31 मार्च, 2022 के अन्त तक 700-800 करोड़ रुपये की बकाया कैरी फॉरवर्ड देयता है। समिति ने पाया कि गत तीन वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (31.01.2022 तक) में विभाग द्वारा प्रस्तुत आरई के सम्बन्ध में वार्षिक वास्तविक व्यय क्रमश: 93.68 प्रतिशत, 97.08 प्रतिशत और 58.55 प्रतिशत है। दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक मात्र 58.55 प्रतिशत निधि का उपयोग दर्शाता है कि विभाग के पास वित्त वर्ष 2021-22 के गत दो महीने में निधि के उपयोग

को बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक विभाग द्वारा असंतोषजनक मासिक व्यय की तरफ इशारा करता है। इसलिए, समिति की यह सुविचारित राय है कि विभाग हर वर्ष आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे कड़े प्रयास करे।".

1.6 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार बताया है:-

"मत्स्यपालन विभाग वर्ष 2021-22 के दौरान केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के लिए राज्यों को निधियां जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया लागू करने और 1 जुलाई 2021 से सभी योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निधियों के उपयोग की निगरानी किए जाने के बाद भी 1191.45 करोड़ रुपये (अंतिम आवश्यकता) के अंतिम आवंटन की तुलना में 1169.19 करोड़ रुपये का उपयोग करने में सक्षम था, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 98.12% है। इस अवधि के दौरान, एकल नोडल एजेंसी की अधिसूचना की प्रक्रिया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रणाली को समझने और दिशानिर्देशों को लागू करने में समय लिया, जिससे पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर केंद्रीय निधि जारी करने में बाधा उत्पन्न हुई।

2. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराया गया है और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए समीक्षा बैठकों और आमने-सामने संवादात्मक बैठकों के माध्यम से विभाग द्वारा कार्यान्वयन की पूरी प्रणाली की निगरानी की जा रही है ।"

1.7 समिति ने वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में मत्स्यपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं/संस्थानों जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नीली क्रांति, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मात्स्यिकी अवसंरचना विकास कोष आदि के तहत वार्षिक वास्तविक व्यय में गिरावट के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। विभाग ने अपने उत्तर में केवल एक योजना अर्थात् प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, के संबंध में अंतिम आबंटन की तुलना में अंतिम उपयोग के संबंध में सूचित किया है जो 98.12 प्रतिशत था। हालांकि, विभाग ने वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान सभी योजनाओं के तहत विभाग को आवंटित निधियों के समग्र उपयोग के बारे में कुछ नहीं बताया है। इस संबंध में समिति समझती है कि आवंटित निधियों का वर्ष के दौरान समान रूप से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय वर्ष के

अंत में जल्दबाजी में वित्तपोषण से बचा जा सके। इसलिए, समिति अपनी पिछली टिप्पणी को दोहराती है कि आबंटित निधियों का क्रमिक और समान तरीके से उपयोग किया जाए और विभाग को निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए और गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, ताकि परिकल्पित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जा सके।

निधियों के उपयोग की स्थिति

सिफ़ारिश (क्र.सं.3)

1.8 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

" समिति नोट करती है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) की संख्या गत तीन वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है। दिनांक 01.04.2020 तक, 824.54 करोड़ रुपये के यूसी लंबित हैं। वर्ष 2021 (01.04.2021 तक) में 1035.83 करोड़ रुपये के यूसी लंबित थे और 31.01.2022 तक 1263.80 करोड़ रुपए के यूसी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से लम्बित हैं। समिति यह भी पाती है कि कुछ राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडुऔर उत्तर प्रदेश पर उपयोग प्रमाण पत्र का बड़ा बकाया है जैसा कि विभाग द्वारा उन्हें सूचित किया गया है। समिति की सुविचारित राय है कि यूसी की बढ़ती लंबिता विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अवश्य ही बाधक हैं और विभाग की ओर से खर्च की निगरानी का कार्य नहीं हो रहा है। अव्ययित शेष के बारे में मत्स्य पालन विभाग का यह स्पष्टीकरण कि बरसात के मौसम के कारण निधियां खर्च नहीं की जा सकीं, समिति को अस्वीकार्य है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग इस मामले की गम्भीरता से जांच करे और लंबित यूसी के मुद्दे को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ गम्भीरता से उठाए तथा उन्हें आवंटित निधियों के उपयोग को एक निर्दिष्ट समय के भीतर सक्रिय रूप से पूरा करने के लिए कहे ताकि इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मछुआरा समुदाय को विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

1.9 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार बताया है:-

"अव्ययित शेष राशि में उसी वर्ष या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। आम तौर पर, जीएफआर 2017 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य प्रस्तावों के लिए 12 महीने और

बड़े बुनियादी ढांचे पर आधारित गतिविधियों के लिए 18 महीने की आवश्यकता होती है। पीएमएमएसवाई के तहत अधिकांश गतिविधियाँ आधारभूत संरचना पर आधारित हैं और वे मौसमी गतिविधियाँ हैं जैसे हैचरी की स्थापना, पुनः संचारी जलीय कृषि प्रणाली (री- सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) , तालाब का निर्माण / खोदना, फीड मिलों की स्थापना, ब्रूड बैंक, कोल्ड स्टोरेज / शीत संयंत्र के निर्माण सहित फसलेत्तर अवसंरचना, मत्स्य लेन्डिंग केंद्र, मत्स्यन बंदरगाह, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, मछली खुदरा बाजारों का निर्माण, समुद्री शैवाल पार्क / जलीय पार्क आदि, कार्य जो मूर्त रूप लेने के लिए समय लेते हैं। समयबद्ध रूप से राज्यों द्वारा बराबर हिस्सेदारी को जारी किया जाना इस योजना को मूर्त रूप देने के प्रमुख बाधाओं में से एक है।

2. इसके अलावा, दिए गए वित्तीय वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक निधि आवंटन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे केंद्रीय पीएमएमएसवाई बजटीय आवंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि का उपयोग, पूर्ण परियोजना प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, मत्स्य उत्पादन के लक्ष्यों की उपलब्धि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाना, मत्स्यपालन क्षेत्र में किए गए सुधार, इसके प्रबंधन, बेहतर पद्धति, मत्स्यपालन उद्यमियों का विकास आदि ।

3. इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों को राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, फील्ड दौरों और वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से लगातार याद दिलाया जा रहा है ताकि लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समाप्त किया जा सके और पीएमएमएसवाई के तहत वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधि जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके।"

1.10 समिति की राय थी कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपयोगिता प्रमाण पत्रों की बढ़ती लंबिता के कारण मछुआरा समुदायों के लिए विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा आ रही है और इस प्रकार विभाग को इस संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले पर कार्रवाई करने की सिफारिश की। तथापि, विभाग ने अपने उत्तर में यही बताया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों का निपटान करने हेतु कहने पर उनकी तरफ से केवल नियमित अनुस्मारकों की प्रक्रिया ही अपनाई गई है। उन्होंने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से शीघ्र उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है और विभाग

से सिफारिश करती है कि वह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपयोगिता प्रमाणपत्रों की लंबिता को कम करने के लिए ठोस और प्रभावी उपाय करे।

<u>झींगा निर्यात</u>

सिफ़ारिश (क्र.सं.6)

1.11 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

" समिति नोट करती है कि उत्पादन, निर्यात किए गए झींगे की मात्रा और झींगा-निर्यात से प्राप्त निर्यात मूल्य वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक निरंतर रूप से बढ़ा है तथापि, झींगे के उत्पादन और निर्यात में वर्ष 2021-22में गिरावट देखी गई है। समिति को सूचित किया गया है कि सरकार ने अगले 5 वर्षों के दौरान उत्पादन, उत्पादकता और मूल्य वृद्धि के क्षेत्रों में विस्तार कर झींगा निर्यात को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में झींगा जल कृषि से प्राप्त कुछ 'आदानों' पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव दिया है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि झींगा जल कृषि के लिए अपेक्षित 'आदानों' में अटलांटिक सैल्मन, जीवित एसपीएफ ब्लैक टाइगर झींगा, फ्रोजन क्रील, फ्रोजन म्युसैल, फ्रोजन स्कविड और अलगेई आयल इत्यादि शामिल हैं। इन उत्पादों पर मौजूदा 30% शुल्क पर प्रस्तावित शुल्क कटौती 10% से 15% तक है। तथापि, समिति नोट करती है कि अटलांटिक सैल्मन पर मौजूदा शुल्क दर 10% से बढ़ाकर 30% तक करने का प्रस्ताव है। समिति का विचार है कि अटलांटिक सैल्मन शुल्क पर ऐसी वृद्धि (10% से 30% तक) अवांछनीय है विशेषत: जब दूसरे 'आदानों' पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि 'अटलांटिक सैल्मन' पर लग रहे/लगने वाले शुल्क मौजूदा शुल्क के बराबर रहें या इसे झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक अन्य 'आदानों' पर प्रस्तावित शुल्क कटौती तक कम करें। समिति विभाग से यह भी सिफारिश करती है कि वह अगले 5 वर्षों में झींगा निर्यात को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने हेतु देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्पष्ट कार्य-योजना बनाए और तदनुसार समित को अवगत कराए।"

1.12 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार बताया है:-

"2020-21 में 5.96 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2021-22 में समुद्री उत्पादों का निर्यात रहा और अब तक का सबसे अधिक 7.76 बिलियन अमरीकी डॉलर (57,587 करोड़ रुपये) रहा। हालांकि, 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण सामान्य रूप से वैश्विक बाजार, विशेष रूप से आयात करने वाले देशों में होटल और आतिथ्य क्षेत्रों के बंद होने के कारण समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई थी ।

2. विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजना अर्थात पीएमएमएसवाई के तहत निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और उच्च मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई, मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला के संदर्भ में कुछ कार्यों /गतिविधियों का समर्थन करता है। इनमें गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन, विस्तार, खारे पानी की जलीय कृषि का विविधिकरण और गहनता, निर्यात-उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का समावेश, मजबूत रोग प्रबंधन ढांचा, अच्छी जलीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ब्रांडिंग, मानक, प्रमाणन और ट्रेसबिलिटी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध शीत श्रृंखला के साथ आधुनिक फसलेत्तर अवसंरचना का निर्माण, आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों का विकास आदि शामिल हैं।

3. इसके अलावा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), वाणिज्य विभाग ब्रांड प्रचार सहित अन्य देशों में भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना और हितधारकों के लाभ के लिए आयातक देशों के साथ 62 वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक (वीबीएसएम) आयोजित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता के लिए एमपीईडीए को चयनित बाजारों में 62 भारतीय मिशनों तक पहुँचाया गया है। एमपीईडीए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर रहा है।

4. इसके अलावा, 2022 में बजट भाषण में मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र में छूट के संबंध में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार: "झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ आदानों (इनपुट) पर शुल्क कम किया जा रहा है ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके"। चूंकि झींगा जलीय कृषि उद्योग लार्वा बीज, आर्टीमिया और झींगा ब्रूडस्टॉक के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि

इनका देश में शायद ही कोई उत्पादन होता है, इससे झींगा हैचरी की उत्पादन लागत और अन्य इनपुट लागत कम हो जाएगी । इसके अतिरिक्त यह बताया गया है कि 'अटलांटिक सैल्मन' एक खाद्य पदार्थ है और स्वदेशी रूप से उत्पादित मत्स्य के साथ प्रतिस्पर्धा में है । चूंकि, यह झींगा उद्योग के लिए एक इनपुट वस्तु नहीं है, इसलिए शुल्क में कटौती से झींगा उद्योग को मदद नहीं मिल सकती है। दूसरी ओर अटलांटिक सैल्मन पर शुल्क में बढ़ोतरी से घरेलू मत्स्य की मांग बढ़ेगी।"

1.13 समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि विभाग अगले पांच वर्षों में झींगा निर्यात को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करे। तथापि, अपने उत्तर में विभाग ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए हस्तक्षेपों और कार्यकलापों के बारे में बताया गया है और विभाग को यह भी बताया है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अभी भी एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर रहा है। तथापि, समिति विभाग से यह जानना चाहेगी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उसकी कार्य योजना क्या है और यह भी कि सरकार अगले पांच वर्षों में झींगा निर्यात को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार आगे बढ़ रही है।

<u>भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)</u>

सिफ़ारिश (क्र.सं.7)

1.14 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

" समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विभिन्न घटकों के तहत वास्तविक लक्ष्य की उपलब्धि काफी कम है उदाहरणार्थ - जहाजों के द्वारा मछली पकड़ने वाले दिनों की संख्या 1744 के निर्धारित लक्ष्य में यह 447 है; तल और मध्य जल ट्रॉलिंग के लिए नमूने लेने के घण्टे के लिए यह 5355 में से 1962 है; टूना लांग लाइनिंग के लिए संचालित हुकों की संख्या के लिए यह 304540 में से 44814 है इत्यादि। समिति को विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक लक्ष्य की इस असंतोषजनक उपलब्धि के कारणों में, एफएसआई द्वारा

संचालित पुराने जहाज-अधिकांश जहाज 30 वर्ष पुराने हैं परिणामस्वरूप शुष्क-डाकिंग लम्बे समय तक रहती है और अंडर वाटर स्टील प्लाटों के नवीनीकरण में देरी होती है। समिति ने अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन (प्रतिवेदन सं. 12,17वीं लोक सभा सिफारिश पैरा संख्या 6 देखें) में भी इस मामले पर विचार किया था और विभाग से सिफारिश की थी कि एफएसआई द्वारा चलाये जा रहे पुराने जहाजों को बदलने की संभवनाओं का पता लगाया जाए। एफएसआई द्वारा हमारे विशिष्ट समुद्री संसाधनों के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए, समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग निश्चित समय अवधि में सभी पुराने जहाजों को बदलने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के मुद्दे पर विचार करें और मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाए ताकि एफएसआई का वास्तविक कार्यनिष्पादन आने वाले वर्षों में पर्याप्त रूप से सुधर सके।"

1.15 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार बताया है:-

"पीएमएमएसवाई में पुराने जहाजों को बदलने के संबंध में आवश्यक वित्त पोषण का प्रावधान रखा गया है। नए जहाजों की खरीद के बजाय पुराने जहाजों को बदलने के लिए एफएसआई द्वारा बहुउद्देशीय मत्स्यपालन और समुद्र विज्ञान जहाजों में लीज के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। एफएसआई के वास्तविक कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समयबद्ध तरीके से पुराने जहाजों को बदलने के लिए कार्रवाई की जाएगी।"

1.16 समिति ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि विभाग को सभी पुराने जहाजों को बदलने के लिए अतिरिक्त निधियों के मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) के वास्तविक कार्यनिष्पादन में सुधार किया जा सके। तथापि, विभाग ने यह बताया है कि विकल्पों का पता लगाया जा रहा है और पुराने हो रहे जहाजों को समयबद्ध तरीके से बदलने के लिए कार्रवाई की जाएगी ताकि एफएसआई के वास्तविक निष्पादन में सुधार किया जा सके। इसलिए समिति इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अंतिम परिणाम के बारे में जानना चाहती है।

<u>बजट और रोकड़ प्रबंधन स्कीम</u>

सिफ़ारिश (क्र.सं.10)

1.17 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

" समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा किया गया वास्तविक व्यय वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में प्रस्तावित राशि 422.187 करोड़ रुपये में से 109.50 करोड़ रुपये है, उसी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 422.187 करोड़ रुपये में से 428.28 करोड़ रुपये है, तीसरी तिमाही में यह 281.96 करोड़ रुपये में से 260.58 करोड़ रुपये है और चौथी तिमाही (15.02.2022 तक) में वास्तविक व्यय 281.46 करोड़ रुपये में से 65.99 करोड़ रुपये है। समिति इस बात से निराश है कि विभाग प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र में त्रैमासिक व्यय योजना/मासिक व्यय योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और विभाग इस आवंटित निधि को सुनियोजित तरीके से खर्च नहीं कर पाया है। इसलिए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह मासिक व्यय योजना बनाए जैसा कि उसने वित्त मंत्रालय को बताया है। आगे, समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग क्यूईपी/एमईपी के लिए जारी दिशा-निर्देशों पर कायम रहे और वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधि का उपयोग दिशा-निर्देश के तहत किया जाना सुनिश्चित करे।"

1.18 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार बताया है:-

समिति की सिफ़ारिशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट किया गया है । विभाग द्वारा विस्तृत अनुदान मांगों-2022-23 में निर्धारित तिमाही एवं मासिक व्यय प्रगति लक्ष्यों का पालन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है।".

1.19 समिति ने पूर्व में सिफारिश की थी कि विभाग को त्रैमासिक व्यय योजना/मासिक व्यय योजना (क्यूईपी/एमईपी) के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित निधियों का उपयोग 2022-23 के दौरान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए। विभाग ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि वह तिमाही और मासिक व्यय प्रगति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, जो कि विश्वासजनक नहीं हैं और समिति को अस्वीकार्य है। इसलिए, समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है कि विभाग को मासिक व्यय की योजना बनानी चाहिए और क्यूईपी/एमईपी के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना

चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित निधियों का उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

<u>प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना</u>

सिफ़ारिश (क्र.सं.11)

1.20 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना का क्रियान्वयन कर रहा है जो कि 20050 करोड़ रुपये का निवेश के साथ मत्स्यपालन क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास के द्वारा नीली क्रान्ति लाने वाली योजना है जिसमें (क) 9407 करोड़ रुपये का केन्द्र का हिस्सा (ख) 4880 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा (ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5763 करोड़ रुपये का लाभार्थियों का योगदान है। इस योजना का आशय मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, तकनीकी, पोस्ट-हार्वेस्ट बुनियादी ढांचा और प्रबंधन,मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, पता लगाने की क्षमता, मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढ़ांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करना है। समिति यह भी नोट करती है कि पीएमएमएसवाई के तहत 2021-22 के दौरान 1200 करोड़ रुपये जो कि आरई का 70% है, में से 737.85 करोड़ रुपये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 व 2021-22 के लिए स्वीकृत परियोजना के लिए 258.07 करोड़ रुपये और 503.61 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य और एजेन्सियों को जारी करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। आगे, वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित निधि के उपयोग में देरी मुख्यत: निधि जारी करने की संशोधित प्रक्रिया लागू करने से सम्बन्धित है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएनए खाता खोला जाना और वित्त मंत्रालय के निदेश के तहत दो किश्तों में पूर्व की वित्तीय स्वीकृति के स्थान पर चार किश्तों के प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति शामिल है। इस सम्बन्ध में समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएनए (एकल नोडल खाता) खाता खोलने सहित निधि जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन के कारण आवंटित निधि के उपयोग में देरी न हो। समिति यह भी चाहती है कि विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से एसएनए खातों को खोलने के लिए सक्रिय

रूप से कार्रवाई करे ताकि आवंटित निधि का उचित, समयबद्ध और प्रभावी रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

1.21 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार बताया है:-

" समिति की सिफ़ारिशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट किया गया है । वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर एकल नोडल एजेंसी (सिंगल नोडल एजेंसी) के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ-साथ जारी की गई धनराशि का उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों की लगातार और कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि पीएमएमएसवाई के समयबद्ध और सुचारू कार्यान्वयन हेतु विभाग आगे की किस्तों के लिए धनराशि जारी कर सके।"

1.22 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) 20,050 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ विभाग की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसलेत्तर अवसंरचना, प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने आदि में अहम कमी को दूर करना है और इसका प्रमुख उद्देश्य मछुआरों का कल्याण करना है। इसलिए, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए योजना के लिए आवंटित निधियों का उपयोग एक महत्वपूर्ण पहलू है। समिति कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन की निगरानी में विभाग के प्रयासों की सराहना करती है ताकि वे एकल नोडल एजेंसी के दिशानिर्देशों का पालन कर सकें। तथापि, समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के अंतिम परिणाम से अवगत कराया जाए।

अध्याय- दो

टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है

मांग संख्या 43 का विश्लेषण

सिफारिश (क्रम सं.1)

समिति नोट करती है कि मत्स्य पालन विभाग को वर्ष 2022-23 में बीई स्तर पर कुल 2118.47 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग आवंटित किया गया है जो 2021-22 में बीई स्तर के आवंटन से 73.52 प्रतिशत ज्यादा है। समिति को सूचित किया गया है कि बीई 2020-23 में बढ़े हुए आवंटन में दो प्रमुख स्कीम (क) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) और (ख) मास्त्यिकी एवं जलकृषि अवसरंचना विकास निधि (एफआईडीएफ) का क्रियान्वयन शामिल है। पीएमएमएसवाई के तहत कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार आवंटित बजट 1879 करोड़ रुपये है और इस आवंटित निधि को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को कैरी फारवर्ड करने की योजना बनायी गई है क्योंकि विभाग के पास अनुमोदित परियोजनाओं के कारण 31 मार्च, 2022 के अन्त तक 700-800 करोड़ रुपये की बकाया कैरी फॉरवर्ड देयता है। समिति ने पाया कि गत तीन वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (31.01.2022 तक) में विभाग द्वारा प्रस्तुत आरई के सम्बन्ध में वार्षिक वास्तविक व्यय क्रमश: 93.68 प्रतिशत, 97.08 प्रतिशत और 58.55 प्रतिशत है। दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक मात्र 58.55 प्रतिशत निधि का उपयोग दर्शाता है कि विभाग के पास वित्त वर्ष 2021-22 के गत दो महीने में निधि के उपयोग को बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक विभाग द्वारा असंतोषजनक मासिक व्यय की तरफ इशारा करता है। इसलिए, समिति की यह सुविचारित राय है कि विभाग हर वर्ष आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे कड़े प्रयास करे।

सरकार का उत्तर:

मत्स्यपालन विभाग वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए राज्यों को धन जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया लागू करने और 1 जुलाई 2021 से सभी योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही निधियों के उपयोग की निगरानी किए जाने के बाद भी 1191.45 करोड़ रुपये (अंतिम आवश्यकता) के अंतिम आवंटन की तुलना में 1169.19 करोड़ रुपये का उपयोग करने में सक्षम रहा, जो वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 98.12% है। इस अवधि के दौरान, एकल नोडल एजेंसी की अधिसूचना की प्रक्रिया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रक्रिया को समझने

और दिशानिर्देशों को लागू करने में समय लिया, जिससे पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर केंद्रीय निधि जारी करने में बाधा उत्पन्न हुई।

2. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराया गया है और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए समीक्षा बैठकों और आपसी विचार-विमर्श बैठकों के माध्यम से विभाग द्वारा कार्यान्वयन की पूरी प्रणाली की निगरानी की जा रही है ।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-I का पैरा 1.37 देखें।

सिफारिश (क्रम सं. 2)

समिति पिछले वर्ष में अब तक निधियों के कम उपयोग के बावजूद वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमान 2022-23 हेतु विभाग के लिए उच्च आवंटन की सराहना करती है । समिति विभाग को वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान स्तर के आवंटन की तुलना में 73.52 प्रतिशत के बढ़े हुए आवंटन का उचित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश करती है । समिति आगे सिफारिश करती है कि विभाग को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि विभाग के पास अपने अनुमानों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं के कारण 31 मार्च, 2022 के अंत तक 700-900 करोड़ रुपये की बकाया कैरी फॉरवर्ड देनदारी है।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिशों को सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया जाता है। बजट अनुमान स्तर पर वर्ष 2022-23 के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1879 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है । पीएमएमएसवाई के तहत, पिछले दो वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2021-22) में सभी राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए मत्स्यपालन विभाग द्वारा 7268 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो हितधारकों की मांग और योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को कार्यान्वित करने की प्राथमिकता को दर्शाता है । एकल नोडल एजेंसी के संबंध में वित्त मंत्रालय के दिनांक 23.03.2021, 23.03.2022 और 20.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित बिंदुओं का अनुपालन न करने के कारण पीएमएमएसवाई के सफल कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करने में बाधा आ रही है ।

2. विभाग उक्त मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ लगातार प्रयास कर रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उच्च स्तर पर सीएसएस फंड जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन की सख्ती से निगरानी कर रहा है।

3. विभाग आवंटित धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और वित्त वर्ष 2022-23 के पहले भाग में अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

<u>महिला सशक्तिकरण</u>

सिफारिश (क्रम सं. 4)

समिति देखती है कि विभाग में मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों में व्यापक और प्रभावी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जेण्डर बजट प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ताकि जेंडर असंतुलन समाप्त हो सके,जेंडर समानता को बढ़ावा मिल सके और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इसके प्रमुख संयुक्त सचिव (अन्तर्देशीय मत्स्यपालन एवं प्रशासन) है। वर्तमान में, विभाग ने महिला संघटक के लिए कोई विशिष्ट निधि निर्धारित नहीं की है तथापि, यह राज्य /कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों केतहत महिला लाभार्थियों हेतु आवंटित निधि के लगभग 30 प्रतिशत उपयोग की सलाह दे रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि मत्स्यपालन और जलकृषि क्षेत्र देश में 2.8 करोड़ मछुआरों को आजीविका के सहायता प्रदान करते हैं। देश में कुल मछुआरों में से 12,397,908

महिलाएं हैं। विभाग के पासआज तक देश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत मत्स्य किसानों का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मत्स्यपालन राज्य सूची का विषय है इसलिए इसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा देखा जाता है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि विभाग के पास भविष्य में महिला लाभार्थियों के लिए कोई विशिष्ट निधि निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है। आगे, समिति ने यह भी देखा है कि किसी भी महिला लाभार्थी को राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, दमन और दीव, गोवा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड में वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों से कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए, समिति विभाग से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता से देश में महिला मछुआरों की वास्तविक संख्या का पता लगाने की सिफारिश करती है। समिति की यहभी इच्छा है कि विभाग राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ मिलकर काम करे और देश में महिला मछुआरों को लाभ पहुंचाने के लिए सुझाए गए और निर्धारित निधि के30% उपयोग को भी सुनिश्चित करे। समिति की इच्छा है कि विभाग इस संबंध में ठोस कार्य योजना बनाये और उसके संबंध में समिति को अवगत कराएं।

सरकार का उत्तर:

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार देश में मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में काम कर रहा है और यह भी सुनिश्चित करता है कि महिला उद्यमियों/किसानों को अच्छी तरह से समर्थन और प्रोत्साहित किया जाता है। मत्स्यपालन विभाग ने विभिन्न गतिविधियों जैसे समुद्री शैवाल की कृषि, सजावटी मछलियों की कृषि और प्रजनन, तालाबों और टैंकों में मत्स्यपालन, धान के साथ मत्स्यपालन, जलाशयों में कृत्रिम मत्स्यपालन, पुनर्संचारी जलीय कृषि प्रणाली इकाई की स्थापना, जलीय पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, मत्स्य विपणन वाहनों की खरीद, शीत श्रृंखला प्रबंधन, मछली सुखाने और प्रसंस्करण के अलावा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, विशेष रुप से मत्स्यपालन क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं महिलाओं को स्टार्टअप/उद्यमियों के रूप में विकसित करने के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है । इसके अलावा, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मत्स्यपालन विभाग के तहत स्वायत्त संगठन ने सितंबर 2021 के पूरे महीने के दौरान "राष्ट्रीय पोषण माह" कार्यक्रम के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओ की पोषण स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है। इसकी शुरुआत के बाद से, बोर्ड ने महिला

उद्यमियों/किसानों के लिए व्यापक रूप से 6,023.98 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत की 93 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।

2. कमजोर और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण भारत सरकार के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। मात्स्यिकी क्षेत्र में वंचितों के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सुधार के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। लैंगिक समानता में सुधार और मत्स्यपालन में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने के लिए आगे की कार्रवाई से मात्स्यिकी क्षेत्र में समग्र विकास में योगदान देने वाली महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होने की उम्मीद है।

3. इसके अलावा, प्रत्येक राज्य सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों के महिला लाभार्थियों के लिए प्रस्ताव कर रहा है, जिसे 30% से अधिक के रूप में लिया जा सकता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान पीएमएमएसवाई के सीएसएस घटक के तहत महिला लाभार्थियों के लिए 229.57 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ कुल 588.85 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है । यह वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत 885.74 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से का लगभग 26% है । इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, महिला लाभार्थियों के लिए 245.44 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ कुल 655.26 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत 889.30 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से का लगभग 27.60 प्रतिशत है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

<u>जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)</u>

सिफारिश (क्रम सं. 5)

समिति नोट करती है कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट निधियां निर्धारित करने का प्रावधान किया है। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए टीएसपी के तहत विभाग द्वारा संशोधित

अनुमान के संबंध में निधियों का प्रतिशत उपयोग क्रमशः 92.76%, 99.9% और 47.3% (15.02.2022 को) है। समिति ने यह देखा है कि चालू वर्ष अर्थात 2021-22 में 15.02.2022 तक निधियों का उपयोग संशोधित अनुमान के 50% से कम है। समिति विभाग द्वारा निधि के इस प्रकार उपयोग के की निंदा करती है क्योंकि विभाग द्वारा इस वर्ष के लिए शेष निधि का शीघ्रता से उपयोग किया जाएगा। समिति यह भी देखती है कि वर्ष 2021-22 में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया है - जिनमें जनजातीय आबादी बहुत अधिक है। समिति को सूचित किया गया है कि टीएसपी के तहत विभाग राज्यवार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, बल्कि वह देश के समग्र लक्ष्य को देखता है। इसके अलावा, टीएसपी के तहत उपलब्धि संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करती है। अत: समिति सिफारिश करती है कि विभाग टीएसपी के अंतर्गत कम से कम उन राज्यों के लिए निधियां निर्धारित करें जहां जनजातीय जनसंख्या बहुत अधिक है। समिति यह भी चाहती है कि विभाग राज्य सरकारों के बीच टीएसपी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करे ताकि इस कार्यक्रम का लाभ जनजातीय समुदाय के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

सरकार का उत्तर:

समिति की सिफारिशों को सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, मत्स्यपालन विभाग ने 108.48 करोड़ रुपये का उपयोग किया जो कि 110.00 करोड रुपये के आवंटन का 98.61 प्रतिशत है । प्रमुख योजना पीएमएमएसवाई एक मांग संचालित योजना है और विभाग द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव ज्यादातर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित हैं। इसके अलावा, विभाग सामान्य वर्ग की तुलना में पीएमएमएसवाई के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि की पेशकश करके अधिक जनजातीय लाभार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है ।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

<u>मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा</u>

सिफारिश (क्रम सं. 8)

समिति ने नोट किया कि मत्स्यपालकों के ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में पशु पालने वाले किसानों के अलावा मत्स्यपालन के लिए केसीसी की सुविधा को बढ़ाया ताकि उन्हें उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। मछुआरों और मत्स्यपालकों के लिए, कार्यशील पूंजी में ईंधन, बर्फ, श्रम शुल्क, नौबन्ध/उतराई शुल्क आदि की लागत शामिल है। मौजूदा केसीसी धारकों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि मात्स्यिकी के लिए नए केसीसी धारकों की सीमा केवल 2 लाख रुपये है। समिति का मानना है कि देश में लगभग 2.68 करोड़ मत्स्यपालक हैं और अब तक स्वीकृत केसीसी की संख्या केवल 77559 है । समिति आगे नोट करती है कि कुल 1,27,289 केसीसी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। अस्वीकृति के प्रमुख कारण हैं (i) मछली बेचने, मछली सुखाने, विपणन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा किए गए थे, जो मत्स्यपालक' की श्रेणी में नहीं आते हैं । (ii) अधिकांश राज्यों में, अंतर्देशीय मछुआरों को लाइसेंस नहीं मिलता है और बिना लाइसेंस के बैंकर केसीसी को मंजूरी देने को तैयार नहीं हैं । समिति को सूचित किया गया है कि विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ संबद्ध गतिविधियों जैसे मछली बेचने, दूर स्थलों पर मछली विपणन आदि को शामिल करने का मुद्दा उठाया है। अतः समिति विभाग को वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ प्राथमिकता के आधार पर इस मामले में तेजी लाने की सिफारिश करती है और यह सुनिश्चित करती है कि मात्स्यिकी क्षेत्र में संबद्ध गतिविधियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए शामिल किया जाए। समिति विभाग को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में मछुआरों के बीच केसीसी योजना का तीव्र प्रचार करने की भी सिफारिश करती है ताकि किसानों के बीच इस योजना की पहुँच बने और अधिकतम मछुआरे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित हों। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर:

भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में पशु पालने वाले किसानों के अलावा मत्स्यपालकों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए केसीसी की सुविधा प्रदान की है । विभाग राज्य के विभागों के साथ मछुआरों और मत्स्यपालकों से केसीसी के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। आज तक, स्वीकृत केसीसी की संख्या 1,20,305 है । विभाग पहले ही मछुआरों के लिए केसीसी योजना में संबद्ध गतिविधियों को शामिल करने का मुद्दा उठा चुका है और इसमें तेजी लाने के

लिए कदम उठाएगा । विभाग ने उन अंतर्देशीय मछुआरों को केसीसी जारी करने के लिए परिपत्र दिनांक 18.05.2022 के माध्यम से आरबीआई की मंजूरी पहले ही प्राप्त कर ली है, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर लाइसेंस नहीं है। मत्स्यपालन विभाग द्वारा 1 जून से 31 दिसंबर, 2020 तक केसीसी आवेदनों का निपटान करने के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया था । इसके बाद, दिनांक 15.11.2021 को सभी पात्र मछुआरों और मत्स्यपालकों को कवर करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था और यह 31.07.2022 तक जारी रहेगा।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

<u>मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)</u>

सिफारिश (क्रम सं. 9)

समिति को सूचित किया गया है कि सरकार ने मात्स्यिकी अवसंरचना में कमियों को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 7522.48 करोड़ रुपये की राशि की मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसरंचना विकास निधि बनाई थी। इसमें, 5266.40 करोड़ रुपये नोडल ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा और 1316.60 करोड़ रुपये लाभार्थियों द्वारा उठाए जाने हैं। इस स्कीम के वितरण की अवधि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक है। समिति नोट करती है कि अब तक मत्स्यपालन विभाग ने 3783.46 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश की है। एफआईडीएफ के तहत 3451.32 करोड़ रुपये से 14 फिशिंग हार्बरों को अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें तमिलनाडु (5 फिशिंग हार्बर), आन्ध्र प्रदेश (4 फिशिंग हार्बर) और गुजरात (5 फिशिंग हार्बर)हैं। नाबार्ड द्वारा तमिलनाडु सरकार के लिए 700.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिसमें 229.4272 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। आगे, नाबार्ड ने गोवा सरकार को 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है जिसमें अनुसूचित बैंकों ने 2.48 करोड़ रुपये तीन निजी लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किए हैं। जैसा कि विभाग ने बताया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार ने एफआईडीएफ के तहत ऋण का लाभ लेने के लिए नाबार्ड में ऋण के लिए आवेदन नहीं किया है। समिति इस बात से निराश है कि एफआईडीएफ के क्रियान्वयन का यह अन्तिम वर्ष है और 7522.48 करोड़ रुपये में से 3783.96 करोड़ रुपये अब तक अनुमोदित हो चुके हैं जो

कोष का मात्र 50.29% है। समिति का विचार है कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने इस निधि का पूर्ण लाभ नहीं उठाया है क्योंकि वे एफआईडीएफ के तहत सक्रिय रूप से ऋण नहीं ले रहे हैं। इसलिए, समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह इस मामले को सक्रिय रूप से राज्य और सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्र के साथ आगे बढ़ाए और तदनुसार उन्हें अवगत कराये ताकि एफआईडीएफ का पूरा लाभ वित्त वर्ष 2022-23 में इसकी समाप्ति से पूर्व मिल सके।

सरकार का उत्तर

मत्स्यपालन विभाग एफ़आईडीएफ़ के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के समापन से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। मत्स्यपालन विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एसएलबीसी/नाबार्ड/एनसीडीसी के साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बैठकें की हैं और एफआईडीएफ के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी है। एनएफडीबी उद्यमियों, निवेशकों, मत्स्य किसानों, राज्य विभाग के अधिकारियों, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसएलबीसी संयोजकों और अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों के साथ एफआईडीएफ स्कीम के लाभों को बताने के लिए विभिन्न मीडिया के माध्यम से संवाद करने में नोडल कार्यान्वयन अभिकरण (एनआईए) है। एनएफडीबी द्वारा की गई गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

1. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है।
2. अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगाली, गुजराती और तेलुगु में प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञापन।
3. एफआईडीएफ योजना पर जागरुकता पैदा करने के लिए उद्यमियों, मत्स्य किसानों, राज्य विभाग के अधिकारियों, बैंकरों, नाबार्ड और एनसीडीसी के अधिकारियों के साथ वेबिनार, कार्यशालाएं।
4. प्रत्येक परियोजना के लिए, एनएफडीबी में बैंक योग्यता और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जा रही है और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजकों से संबंधित लाभार्थियों और अनुसूचित बैंकों के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया जा रहा है।
5. मुद्दों को समझने और सुलझाने के लिए सीजीएम, नाबार्ड, एसएलबीसी संयोजकों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी उद्यमियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस।

6. 10 भाषाओं में दो पेज की एफआईडीएफ विवरणिका और पत्रक तैयार किया जाता है और एनएफडीबी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

अध्याय- तीन

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय- चार

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं

निधियों के उपयोग की स्थिति

सिफारिश (क्रम सं. 3)

समिति नोट करती है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) की संख्या गत तीन वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है। दिनांक 01.04.2020 तक, 824.54 करोड़ रुपये के यूसी लंबित हैं। वर्ष 2021 (01.04.2021 तक) में 1035.83 करोड़ रुपये के यूसी लंबित थे और 31.01.2022 तक 1263.80 करोड़ रुपए के यूसी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से लम्बित हैं। समिति यह भी पाती है कि कुछ राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडुऔर उत्तर प्रदेश पर उपयोग प्रमाण पत्र का बड़ा बकाया है जैसा कि विभाग द्वारा उन्हें सूचित किया गया है। समिति की सुविचारित राय है कि यूसी की बढ़ती लंबिता विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अवश्य ही बाधक हैं और विभाग की ओर से खर्च की निगरानी का कार्य नहीं हो रहा है। अव्ययित शेष के बारे में मत्स्य पालन विभाग का यह स्पष्टीकरण कि बरसात के मौसम के कारण निधियां खर्च नहीं की जा सकीं, समिति को अस्वीकार्य है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग इस मामले की गम्भीरता से जांच करे और लंबित यूसी के मुद्दे को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ गम्भीरता से उठाए तथा उन्हें आवंटित निधियों के उपयोग को एक निर्दिष्ट समय के भीतर सक्रिय रूप से पूरा करने के लिए कहे ताकि इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मछुआरा समुदाय को विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

सरकार का उत्तर

अव्ययित शेष राशि में उसी वर्ष या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। आम तौर पर, जीएफआर 2017 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य प्रस्तावों के लिए 12 महीने और बड़े बुनियादी ढांचे पर आधारित गतिविधियों के लिए 18 महीने की आवश्यकता होती है। पीएमएमएसवाई के तहत अधिकांश गतिविधियाँ आधारभूत संरचना पर आधारित हैं और वे मौसमी गतिविधियाँ हैं जैसे हैचरी की स्थापना, पुनः संचारी जलीय कृषि प्रणाली (री- सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) , तालाब का

निर्माण / खोदना, फीड मिलों की स्थापना, ब्रूड बैंक, कोल्ड स्टोरेज / शीत संयंत्र के निर्माण सहित फसलेत्तर अवसंरचना, मत्स्य लेन्डिंग केंद्र, मत्स्यन बंदरगाह, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, मछली खुदरा बाजारों का निर्माण, समुद्री शैवाल पार्क / जलीय पार्क आदि, कार्य जो मूर्त रूप लेने के लिए समय लेते हैं। समयबद्ध रूप से राज्यों द्वारा बराबर हिस्सेदारी को जारी किया जाना इस योजना को मूर्त रूप देने के प्रमुख बाधाओं में से एक है।

2. इसके अलावा, दिए गए वित्तीय वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक निधि आवंटन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे केंद्रीय पीएमएमएसवाई बजटीय आवंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि का उपयोग, पूर्ण परियोजना प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, मत्स्य उत्पादन के लक्ष्यों की उपलब्धि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाना, मत्स्यपालन क्षेत्र में किए गए सुधार, इसके प्रबंधन, बेहतर पद्धति, मत्स्यपालन उद्यमियों का विकास आदि ।

3. इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों को राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, फील्ड दौरों और वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से लगातार याद दिलाया जा रहा है ताकि लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समाप्त किया जा सके और पीएमएमएसवाई के तहत वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधि जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके।

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 का पैरा 1.10 देखें।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

<u>बजट और रोकड़ प्रबंधन स्कीम</u>

सिफारिश (क्रम सं. 10)

समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा किया गया वास्तविक व्यय वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में प्रस्तावित राशि 422.187 करोड़ रुपये में से 109.50 करोड़ रुपये है, उसी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 422.187 करोड़ रुपये में से 428.28 करोड़ रुपये है, तीसरी तिमाही में यह 281.96 करोड़

रुपये में से 260.58 करोड़ रुपये है और चौथी तिमाही (15.02.2022 तक) में वास्तविक व्यय 281.46 करोड़ रुपये में से 65.99 करोड़ रुपये है। समिति इस बात से निराश है कि विभाग प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र में त्रैमासिक व्यय योजना/मासिक व्यय योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और विभाग इस आवंटित निधि को सुनियोजित तरीके से खर्च नहीं कर पाया है। इसलिए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह मासिक व्यय योजना बनाए जैसा कि उसने वित्त मंत्रालय को बताया है। आगे, समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग क्यूईपी/एमईपी के लिए जारी दिशा-निर्देशों पर कायम रहे और वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधि का उपयोग दिशा-निर्देश के तहत किया जाना सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिशों को सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया जाता है। विभाग द्वारा विस्तृत अनुदानों की मांगों-2022-23 में निर्धारित तिमाही एवं मासिक व्यय प्रगति लक्ष्यों का पालन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है।

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 का पैरा 1.19 देखें।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

अध्याय- पाँच

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

झींगा निर्यात

सिफारिश (क्रम सं. 6)

समिति नोट करती है कि उत्पादन, निर्यात किए गए झींगे की मात्रा और झींगा-निर्यात से प्राप्त निर्यात मूल्य वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक निरंतर रूप से बढ़ा है तथापि, झींगे के उत्पादन और निर्यात में वर्ष 2021-22में गिरावट देखी गई है। समिति को सूचित किया गया है कि सरकार ने अगले 5 वर्षों के दौरान उत्पादन, उत्पादकता और मूल्य वृद्धि के क्षेत्रों में विस्तार कर झींगा निर्यात को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में झींगा जल कृषि से प्राप्त कुछ 'आदानों' पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव दिया है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि झींगा जल कृषि के लिए अपेक्षित 'आदानों' में अटलांटिक सैल्मन, जीवित एसपीएफ ब्लैक टाइगर झींगा, फ्रोजन क्रील, फ्रोजन म्युसैल, फ्रोजन स्कविड और अलगेई आयल इत्यादि शामिल हैं। इन उत्पादों पर मौजूदा 30% शुल्क पर प्रस्तावित शुल्क कटौती 10% से 15% तक है। तथापि, समिति नोट करती है कि अटलांटिक सैल्मन पर मौजूदा शुल्क दर 10% से बढ़ाकर 30% तक करने का प्रस्ताव है। समिति का विचार है कि अटलांटिक सैल्मन शुल्क पर ऐसी वृद्धि (10% से 30% तक) अवांछनीय है विशेषत: जब दूसरे 'आदानों' पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि 'अटलांटिक सैल्मन' पर लग रहे/लगने वाले शुल्क मौजूदा शुल्क के बराबर रहें या इसे झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक अन्य 'आदानों' पर प्रस्तावित शुल्क कटौती तक कम करें। समिति विभाग से यह भी सिफारिश करती है कि वह अगले 5 वर्षों में झींगा निर्यात को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने हेतु देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्पष्ट कार्य-योजना बनाए और तदनुसार समित को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

2020-21 में 5.96 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2021-22 में समुद्री उत्पादों का निर्यात रहा और अब तक का सबसे अधिक 7.76 बिलियन अमरीकी डॉलर (57,587 करोड़ रुपये) रहा। हालांकि,

2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण सामान्य रूप से वैश्विक बाजार, विशेष रूप से आयात करने वाले देशों में होटल और आतिथ्य क्षेत्रों के बंद होने के कारण समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई थी ।

2. विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजना अर्थात पीएमएमएसवाई के तहत निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और उच्च मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई, मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला के संदर्भ में कुछ कार्यों /गतिविधियों का समर्थन करता है। इनमें गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन, विस्तार, खारे पानी की जलीय कृषि का विविधिकरण और गहनता, निर्यात-उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का समावेश, मजबूत रोग प्रबंधन ढांचा, अच्छी जलीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ब्रांडिंग, मानक, प्रमाणन और ट्रेसबिलिटी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध शीत श्रृंखला के साथ आधुनिक फसलेत्तर अवसंरचना का निर्माण, आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों का विकास आदि शामिल हैं।

3. इसके अलावा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), वाणिज्य विभाग ब्रांड प्रचार सहित अन्य देशों में भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना और हितधारकों के लाभ के लिए आयातक देशों के साथ 62 वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक (वीबीएसएम) आयोजित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता के लिए एमपीईडीए को चयनित बाजारों में 62 भारतीय मिशनों तक पहुँचाया गया है। एमपीईडीए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर रहा है।

4. इसके अलावा, 2022 में बजट भाषण में मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र में छूट के संबंध में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार: "झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ आदानों (इनपुट) पर शुल्क कम किया जा रहा है ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके"। चूंकि झींगा जलीय कृषि उद्योग लार्वा बीज, आर्टीमिया और झींगा ब्रूडस्टॉक के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि इनका देश में शायद ही कोई उत्पादन होता है, इससे झींगा हैचरी की उत्पादन लागत और अन्य इनपुट लागत कम हो जाएगी । इसके अतिरिक्त यह बताया गया है कि 'अटलांटिक सैल्मन' एक खाद्य पदार्थ है

और स्वदेशी रूप से उत्पादित मत्स्य के साथ प्रतिस्पर्धा में है । चूंकि, यह झींगा उद्योग के लिए एक इनपुट वस्तु नहीं है, इसलिए शुल्क में कटौती से झींगा उद्योग को मदद नहीं मिल सकती है। दूसरी ओर अटलांटिक सैल्मन पर शुल्क में बढ़ोतरी से घरेलू मत्स्य की मांग बढ़ेगी।

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 का पैरा 1.13 देखें।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)

सिफारिश (क्रम सं. 7)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विभिन्न घटकों के तहत वास्तविक लक्ष्य की उपलब्धि काफी कम है उदाहरणार्थ - जहाजों के द्वारा मछली पकड़ने वाले दिनों की संख्या 1744 के निर्धारित लक्ष्य में यह 447 है; तल और मध्य जल ट्रॉलिंग के लिए नमूने लेने के घण्टे के लिए यह 5355 में से 1962 है; टूना लांग लाइनिंग के लिए संचालित हुकों की संख्या के लिए यह 304540 में से 44814 है इत्यादि। समिति को विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक लक्ष्य की इस असंतोषजनक उपलब्धि के कारणों में, एफएसआई द्वारा संचालित पुराने जहाज-अधिकांश जहाज 30 वर्ष पुराने हैं परिणामस्वरूप शुष्क-डाकिंग लम्बे समय तक रहती है और अंडर वाटर स्टील प्लाटों के नवीनीकरण में देरी होती है। समिति ने अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन (प्रतिवेदन सं. 12,17वीं लोक सभा सिफारिश पैरा संख्या 6 देखें) में भी इस मामले पर विचार किया था और विभाग से सिफारिश की थी कि एफएसआई द्वारा चलाये जा रहे पुराने जहाजों को बदलने की संभवनाओं का पता लगाया जाए। एफएसआई द्वारा हमारे विशिष्ट समुद्री संसाधनों के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए, समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग निश्चित समय अवधि में सभी पुराने जहाजों को बदलने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के

मुद्दे पर विचार करें और मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाए ताकि एफएसआई का वास्तविक कार्यनिष्पादन आने वाले वर्षों में पर्याप्त रूप से सुधर सके।

सरकार का उत्तर

पीएमएमएसवाई में पुराने जहाजों को बदलने के संबंध में आवश्यक वित्त पोषण का प्रावधान रखा गया है। नए जहाजों की खरीद के बजाय पुराने जहाजों को बदलने के लिए एफएसआई द्वारा बहुउद्देशीय मत्स्यपालन और समुद्र विज्ञान जहाजों में लीज के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। एफएसआई के वास्तविक कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समयबद्ध तरीके से पुराने जहाजों को बदलने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 का पैरा 1.16 देखें।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

<u>प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना</u>

सिफारिश (क्रम सं. 11)

समिति नोट करती है कि विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना का क्रियान्वयन कर रहा है जो कि 20050 करोड़ रुपये का निवेश के साथ मत्स्यपालन क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास के द्वारा नीली क्रान्ति लाने वाली योजना है जिसमें (क) 9407 करोड़ रुपये का केन्द्र का हिस्सा (ख) 4880 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा (ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5763 करोड़ रुपये का लाभार्थियों का योगदान है। इस योजना का आशय मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, तकनीकी, पोस्ट-हार्वेस्ट बुनियादी ढांचा और प्रबंधन,मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, पता लगाने की क्षमता, मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढ़ांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करना है। समिति यह भी नोट करती है कि पीएमएमएसवाई के तहत 2021-22 के दौरान 1200 करोड़ रुपये जो कि आरई का 70% है, में से 737.85 करोड़ रुपये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष

2020-21 व 2021-22 के लिए स्वीकृत परियोजना के लिए 258.07 करोड़ रुपये और 503.61 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य और एजेन्सियों को जारी करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। आगे, वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित निधि के उपयोग में देरी मुख्यत: निधि जारी करने की संशोधित प्रक्रिया लागू करने से सम्बन्धित है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएनए खाता खोला जाना और वित्त मंत्रालय के निदेश के तहत दो किश्तों में पूर्व की वित्तीय स्वीकृति के स्थान पर चार किश्तों के प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति शामिल है। इस सम्बन्ध में समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएनए (एकल नोडल खाता) खाता खोलने सहित निधि जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन के कारण आवंटित निधि के उपयोग में देरी न हो। समिति यह भी चाहती है कि विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से एसएनए खातों को खोलने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई करे ताकि आवंटित निधि का उचित, समयबद्ध और प्रभावी रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफ़ारिशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट किया गया है । वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर एकल नोडल एजेंसी (सिंगल नोडल एजेंसी) के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ-साथ जारी की गई धनराशि का उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों की लगातार और कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि पीएमएमएसवाई के समयबद्ध और सुचारू कार्यान्वयन हेतु विभाग आगे की किस्तों के लिए धनराशि जारी कर सके।

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 का पैरा 1.22 देखें।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)
जे-14001/2/2022-एफवाई (ई-19683) दिनांक 12.07.2022

नई दिल्ली;
06 दिसंबर, 2022
15 अग्रहायण, 1944 (शक)

पी. सी. गद्दीगौदर
सभापति
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

<u>अनुबंध</u>

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

*****

समिति की बैठक मंगलवार, 15 नवंबर, 2022 को 1100 बजे से 1245 बजे तक समिति कक्ष संख्या 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.सी. गद्दीगौदर – *सभापति*

सदस्य
लोक सभा

2. श्री ए. गणेशमूर्ति
3. श्री कनकमल कटारा
4. श्री देवजी पटेल
5. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
6. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
7. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

8. श्री मस्थान राव बीडा
9. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे
10. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
11. श्री कैलाश सोनी
12. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
13. श्री राम नाथ ठाकुर

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
5.	श्री एन. अमरत्यागन	-	अवर सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार, लार्डिस समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा ताकि सदस्यों को शोध में बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में की गई नई पहलों, संसद ग्रंथालय में नई पहल, संसद ग्रंथालय के समृद्ध संसाधनों/भंडार के बारे में जागरूकता पैदा करना, प्राइड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से अवगत कराया जा सके। तत्पश्चात, लार्डिस के अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार किया:

(i) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX

(ii) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX

(iii) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX

(iv) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदन;

(v) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX

(iv) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया और समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

*5. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*6. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*7. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*8. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*मामला इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

<u>परिशिष्ट</u>

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के उनतालीसवें प्रतिवेदन(17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 4 देंखे)

(i)	कुल सिफारिशों की संख्या	11
(ii)	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया हैं पैरा संख्या- 1, 2, 4, 5, 8 और 9	
	कुल	06
	प्रतिशत	54.54%
(iii)	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती पैरा संख्या. शून्य	
	कुल	00
	प्रतिशत	00.00%
(iv)	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर को स्वीकार नहीं किये हैं पैरा संख्या. 3 और 10	
	कुल	02
	प्रतिशत	18.19%
(v)	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं पैरा संख्या- 6, 7 और 11	
	कुल	03
	प्रतिशत	27.27%